



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]
No. 65]नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 30, 2007/चैत्र 9, 1929
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 30, 2007/CHAITRA 9, 1929

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2007

दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार (आठवां संशोधन) विनियम, 2007
(2007 का 2)

फा. सं. 409-2/2007-एफएन.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii), (iii) और (iv) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) में आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों को "दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार (आठवां संशोधन) विनियम, 2007" कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम अप्रैल, 2007 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होंगे।
2. दूरसंचार अन्तरसंयोजन उपयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) में, विनियम 5 में, पैरा (iv) में, "और आउटगोइंग" शब्दों का लोप किया जाएगा;
3. उक्त विनियमों की अनुसूची III में,—
- (क) पैरा 3.1 में,—
- (i) "आउटगोइंग और" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (ii) तालिका III के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:

“तालिका—III

अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की कॉलों के लिए एक्सेस डेफिसिट प्रभार

काल का प्रकार	प्रति मिनट एक्सेस डेफिसिट प्रभार (रु. में)	बीएसएनएल को भुगतान किया जाने वाला एक्सेस डेफिसिट प्रभार
सभी इनकमिंग आईएलडी कॉलें	रु. 1.00 (एक रुपया केवल)	विनियम 2 के खंड (iv) में विनिर्दिष्ट आईएलडीओ अथवा एनएलडीओ द्वारा”;

(ख) पैरा 3.2 में,—

(i) उप-पैरा 3.2.1 में,—

(क) “आउटगोइंग और” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) “1.5 प्रतिशत भुगतान” शब्दों तथा अंकों के स्थान पर “0.75 प्रतिशत भुगतान” शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-पैरा 3.2.4 में, “31-3-2006 तक, पश्चातवर्ती भुगतान” शब्दों तथा अंकों के स्थान पर “31-3-2006 तक, 1 अप्रैल, 2007 से पूर्व पश्चातवर्ती भुगतान” शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(iii) उप-पैरा 3.2.4 के पश्चात, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,—

“3.2.5. 1 अप्रैल, 2007 को प्रारंभ होने वाले तथा 31 मार्च, 2008 तक प्रभावी वित्त वर्ष के लिए उक्त, वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल 2007 के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात्, उप-पैरा 3.2.1 में विनिर्दिष्ट एक्सेस डेफिसिट प्रभार उस वित्त वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए समायोजित सकल राजस्व की 0.75 प्रतिशत की दर से देय होगा तथा उसका भुगतान संबंधित लाइसेंसी के लाइसेंस में उल्लिखित लाइसेंस फीस के भुगतान के लिए समय-सारणी के अनुरूप उसमें भीतर किया जाएगा।”

आर. के. आर्नल्ड, सचिव

[विज्ञापन III/IV/142/2006/असा.]

टिप्पणी 1: प्रधान विनियम दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 की फा.सं. 409-5/2003-एफएन (2003 का 4) द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उसमें पश्चातवर्ती संशोधन हुए :

- (i) 409-5/2003-एफएन, दिनांक 25 नवम्बर, 2003 (2003 का 5) (प्रथम संशोधन);
- (ii) 409-5/2003-एफएन, दिनांक 12 दिसम्बर, 2003 (2003 का 6) (द्वितीय संशोधन);
- (iii) 409-5/2003-एफएन, दिनांक 31 दिसम्बर, 2003 (2003 का 7) (तृतीय संशोधन);
- (iv) 409-8/2004-एफएन, दिनांक 6 जनवरी, 2005 (2005 का 1) (चौथा संशोधन);
- (v) 409-8/2004-एफएन, दिनांक 11 अप्रैल, 2005 (2005 का 7) (पांचवा संशोधन);
जिसे माननीय टीडीसैट ने 2005 की अपील सं. 7 में 21 सितम्बर, 2005 के अपने आदेश द्वारा निरस्त कर दिया है।
- (vi) 409-5/2005-एफएन, दिनांक 23 फरवरी, 2006 (2006 का 1) (छठा संशोधन);
- (vii) 409-5/2005-एफएन, दिनांक 10 मार्च, 2006 (2006 का 2) (सातवां संशोधन);

टिप्पणी 2 : व्याख्यात्मक ज्ञापन इन विनियमों के उद्देश्यों और कारणों का वर्णन करता है।

“दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आइईसी संशोधन) विनियम 2007” (2007 का 2) दिनांक 21 मार्च, 2007 का व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. पृष्ठभूमि

1.1 एक्सेस डेफिसिट चार्ज (एडीसी) व्यवस्था दूरसंचार बाजार में विकसित होती स्थिति विरोधकर तेजी से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति और एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में फिक्सड लाइन ऑपरेटरों के बने रहने के परिप्रेक्ष्य में अस्तित्व में आई थी। पारगमन के दौरान यह अस्थायी सहायता बड़े कवरेज एरिया वाले नेटवर्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और यह दूरसंचार क्षेत्र में महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्यों पर केन्द्रित थी। तथापि, एक सीमित अवधि के लिए रहने वाली यह एडीसी व्यवस्था मुख्यतः इकॉन्वेंट ऑपरेटरों को पारगमन अवधि के दौरान टैरिफ के पुनर्संतुलन हेतु समर्थ देने के लिए है। दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैराग्राफ 101 में यह बताया गया था कि एडीसी व्यवस्था को सामान्य रूप से चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा और इसे 3 से 5 वर्ष के भीतर यूएसओ व्यवस्था में मिला दिया जाएगा।

2. एडीसी व्यवस्था की शुरुआत/वर्ष 2003 में एडीसी की समीक्षा

2.1 अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आईयूसी) और एडीसी व्यवस्था की स्थापना भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके बाद प्राधिकरण कहा गया है) द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 2003 के अपने विनियम “दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आईयूसी) विनियम, 2003” (2003 का 1) के माध्यम से हुई। यह व्यवस्था 1 मई, 2003 से लागू हुई। प्राधिकरण ने उपर्युक्त व्यवस्था की समीक्षा की और “दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार विनियम, 2003” (2003 का 4) दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रधान विनियम कहा गया है) द्वारा संशोधित व्यवस्था अधिसूचित की गई और यह 1 फरवरी, 2004 से प्रभावी हुई।

3. वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान एडीसी की समीक्षा

3.1 सब्सक्राइबर नेट की उच्च वृद्धि और एडीसी के वित्तपोषण हेतु उपलब्ध अधिविधित मिनटों के मद्देनजर, प्राधिकरण ने “एक्सेस डेफिसिट रिब्य” पर 23 जून, 2004 को एक और परामर्श पत्र जारी किया। परामर्श के फलस्वरूप, प्राधिकरण ने “दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (चौथा संशोधन) विनियम (2005 का 1)” दिनांक 6 जनवरी, 2005 के तहत प्रधान विनियम को संशोधित किया और एडीसी कोष की उतनी ही राशि की जारी रखने का निर्णय किया जिसे प्रधान विनियमों के तहत विनिर्दिष्ट किया गया था। तथापि, वर्ष 2005-06 के लिए एडीसी के वित्तपोषण हेतु उपलब्ध अधिविधित मिनटों के कारण प्रति मिनट दर को घटा दिया गया था तथापि एडीसी कोष में कोई कटौती नहीं की गई। प्रधान विनियमों में उक्त संशोधन 1 फरवरी, 2005 से प्रभावी हुआ। दिनांक 6 जनवरी, 2005 के “दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (चौथा संशोधन) विनियम (2005 का 1)” द्वारा यथासंशोधित मूल विनियमों के अंतर्गत “अन्य फिक्सड लाइन ऑपरेटरों” का अपने नेटवर्क से उद्भूत कॉलों से सृजित हुई एडीसी को बनाए रखना जारी रखने की अनुमति दी गई। बीएसएनएल

को एडीसी के अभ्यर्थी सभी इनकमिंग अंतरराष्ट्रीय कॉलों और मोबाइल से उद्भूत सभी कॉलों सहित (आईएसडीएल) मोबाइल से मोबाइल कॉलों को छोड़कर) अन्य सभी कॉलों से सृजित एडीसी को बनाए रखने की अनुमति दी गई।

4. वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान एडीसी की समीक्षा (मार्च, 2005 माह सहित)

4.1 प्राधिकरण ने 17 मार्च, 2005 के अपने परामर्श पत्र के तहत आईयूसी/एडीसी की तीसरी बार समीक्षा की। इस परामर्श पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ (क) फिक्सड वायरलेस लाइन पर एडीसी का औचित्य और बीएसएनएल से इतर फिक्सड लाइन ऑपरेटरों पर एडीसी की ग्राह्यता, (ख) राजस्व के प्रतिशत के रूप में वृद्धि और उसके विभिन्न रूपों यथा राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी (आईएलडी) कॉलों पर उच्च एडीसी, (ग) इनकमिंग अंतरराष्ट्रीय कॉलों के लिए प्रभारों सहित अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (कैरिज और टर्मिनेशन), (घ) एडीसी के अधिकतम-क्षेत्र से ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबर से सृजित राजस्व को बाहर रखना, (ङ) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कॉलों के लिए संगठित सेवात्मक टर्मिनेशन प्रभार और (च) देय एडीसी की मात्रा को पूरा करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दक्षिण (यूएसओ) उपलब्ध करने सहित कई प्रकार के मुद्दों पर विचार किया गया।

4.2 प्राधिकरण ने पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित परामर्श प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद 23 फरवरी, 2006 को “दूरसंचार अंतर-संयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2006 का 1)” के तहत मूल विनियमों को संशोधित किया जो 1 फरवरी, 2006 को प्रभावी हुआ। प्रधान विनियमों में उक्त संशोधन द्वारा, वर्ष 2006-07 के लिए एडीसी का कुल अनुमानित वित्तपोषण 3335 करोड़ था, जिसमें से 3200 करोड़ रुपए बीएसएनएल के लिए अनुमानित एडीसी वित्तपोषण हेतु थे। उपर्युक्त संशोधन के द्वारा आईएलडी पर एडीसी प्रतिमिनट की दर पर जारी रहा किंतु इसकी दर कम थी, क्योंकि इनकमिंग आईएलडी कॉलों के लिए 1.60 रुपए प्रति मिनट (जो पहले 3.35 रुपए प्रति मिनट थी, (जो पहले 2.50 रु. प्रति मिनट) थी। और आऊटगॉइंग आईएलडी कॉलों के लिए 0.80 रु. प्रति मिनट (जो पहले 2.50 रु. प्रति मिनट) थी। आईएलडी कॉलों के अतिरिक्त, एडीसी, एक्सेस प्रयोक्ताओं, राष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटरों (आईएलडीओ) और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के ऑपरेटरों (आईएलडीओ) के 1.5 प्रतिशत-समायोजित सब्सक्राइबर (एबीआर) के रूप में लागू था। संशोधन के द्वारा, ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों से सृजित राजस्व पर एडीसी नहीं लगाया गया था। अर्थात् दूरसंचार क्षेत्र के सर्विस लाइसेंस/बेसिक सर्विस ऑपरेटर के एबीआर के प्रतिशत के रूप में एडीसी की गणना करते समय, ग्रामीण फिक्सड वायरलेस लाइन सब्सक्राइबरों से प्राप्त राजस्व को हिसाब से बाहर रखने की अनुमति दी गई। एक्सेस प्रयोक्ताओं को फिक्सड वायरलेस से उद्भूत आउटगॉइंग आईएलडी कॉलों से सृजित एडीसी और फिक्सड वायरलाइनों के एबीआर के प्रतिशत के रूप में एडीसी को रखने की अनुमति दी गई।

उपर्युक्त संशोधन की सारणी-8 में दी गई वर्ष 2006-07 के लिए विभिन्न स्टीमों से प्राप्त अनुमानित एडीसी राशि का सारस तुरन्त संक्षेप हेतु नीचे दिया गया है :-

आईयूसी विनियम दिनांक 23 फरवरी, 2006 की तालिका 8 वर्ष 2006-07 हेतु एडीसी दर और अनुमानित एडीसी राशि

स्ट्रीम	एडीसी दर	एडीसी राशि (रु. करोड. में)
राजस्व हिस्सा	सभी सेवा प्रदाताओं के लिए एजीआर का 1.5 प्रतिशत	1278
अंतरराष्ट्रीय इनकमिंग कॉल	1.60 रुपए प्रति मिनट	1800
अंतरराष्ट्रीय आउटगोइंग कॉल	0.80 रुपए प्रति मिनट	257
कुल		3335

5. वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान एडीसी की समीक्षा

5.1 प्रधान विनियमों में, प्राधिकरण ने उल्लेख किया था कि एडीसी की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाएगी। तदनन्तर, प्रधान विनियमों के 1 फरवरी, 2004 से प्रभावी होने के बाद से प्राधिकरण वार्षिक आधार पर एडीसी व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है। प्राधिकरण द्वारा स्थापित एडीसी ढांचे में यह परिकल्पित है कि एडीसी एक समाप्त होती व्यवस्था है, और व्यवस्था को सदा के लिए जारी नहीं रखा जा सकता है।

5.2 वार्षिक समीक्षा के एक भाग के रूप में, प्राधिकरण ने 31 जनवरी, 2007 को एक्सेस डेफिसिट चार्जिंग (एडीसी) पर एक परामर्श पत्र जारी किया। स्टेकहोल्डरों से टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26 फरवरी, 2007 थी। इस परामर्श पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ एडीसी व्यवस्था के स्थापित ढांचे का स्मरण शामिल था, जिसे प्राधिकरण ने स्थापित किया था और समग्र-समय पर उसकी समीक्षा की थी। उक्त परामर्श पत्र द्वारा वर्ष 2007 में, एडीसी की समीक्षा में, मुख्यतः (क) वर्ष 2007-08 हेतु एडीसी की राशि; (ख) ऐसी एडीसी की राशि के वित्तपोषण/वसूली हेतु तंत्र, उदाहरणतः राजस्व के प्रतिशत के रूप में एडीसी, आईएलडी कॉलों पर प्रति मिनट एडीसी और उसके विभिन्न प्रकारों पर विचार-विमर्श किया गया।

6. एडीसी व्यवस्था का ढांचा

प्रधान विनियमों तथा विभिन्न संशोधनकारी विनियमों में प्राधिकरण द्वारा पहले ही यथाविनिर्दिष्ट एडीसी व्यवस्था की मुख्य-मुख्य बातों पर संक्षेप में नीचे विचार किया गया है :-

6.1 एडीसी एक समाप्त होती व्यवस्था है

प्राधिकरण अक्टूबर, 2006 से इस बात पर बल दे रहा है कि एडीसी एक समाप्त होती व्यवस्था है। इस संबंध में, मूल विनियमों और विभिन्न संशोधित विनियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन के संगत पैराग्राफों के उद्धरणों को व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबंध-क में दिया गया है।

6.2 एडीसी को सदा के लिए जारी नहीं रखा जा सकता है

वर्ष 2003 में स्थापित ढांचे में निहित था कि एडीसी व्यवस्था सदा के लिए जारी नहीं रहेगी। इस संबंध में, प्रधान विनियमों तथा विभिन्न संशोधित विनियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन के संगत पैराग्राफों के उद्धरणों को व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबंध-ख में दिया गया है।

6.3 एडीसी की स्वीकार्यता हेतु नई गणना की कोई आवश्यकता नहीं :

प्राधिकरण द्वारा स्थापित एडीसी ढांचे में यह परिकल्पित है कि चूंकि एडीसी एक समाप्त होती व्यवस्था है और इसे सदा के लिए जारी नहीं रखा जा सकता है, इसलिए एडीसी की स्वीकार्यता हेतु नई गणना करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इस संबंध में, प्रधान विनियमों के संशोधन से संबंधित व्याख्यात्मक ज्ञापन के संगत पैराग्राफों के उद्धरणों को व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबंध-ग में दिया गया है।

6.4 2008-09 तक एडीसी को समाप्त करना तथा यूएसओ निधि के माध्यम से भविष्य में सहायता, यदि आवश्यक हुई

प्राधिकरण ने वर्ष 2003 में पहले ही यह कहा है कि एडीसी व्यवस्था को आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा और उसे 3 से 5 वर्ष के भीतर यूएसओ व्यवस्था में शामिल कर दिया जाएगा। प्रधान विनियमों और प्रधान विनियमों के आगे संशोधन में प्राधिकरण ने इसके जीवनकाल सहित एडीसी के ढांचे की स्थापना की है। इस संबंध में, मूल विनियमों और विभिन्न संशोधन विनियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन के संगत पैराग्राफों के उद्धरणों को व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबंध-घ में दिया गया है।

6.5 एडीसी को यूएसओ व्यवस्था से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए अथवा उसमें शामिल किया जाना चाहिए

प्राधिकरण ने वर्ष 2003 में पहले ही यह कहा है कि प्रचलित एडीसी व्यवस्था को 3 से 5 वर्षों के भीतर यूएसओ प्रकार की व्यवस्था में शामिल किए जाने योग्य बनाया जाना चाहिए। प्रधान विनियमों में और संशोधन करते हुए, प्राधिकरण ने यूएसओ और एडीसी के विलय पर बल दिया। इस संबंध में, प्रधान विनियमों और विभिन्न संशोधन विनियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन के संगत पैराग्राफों के उद्धरणों को व्याख्यात्मक ज्ञापन के अनुबंध-ङ में दिया गया है।

7. स्टेकहोल्डरों की मुख्य टिप्पणियों/उठाए गए मुद्दों पर विचार :

7.1 प्राधिकरण को बीएसएनएल से आरंभिक प्रतिक्रिया सहित 14 स्टेकहोल्डरों से टिप्पणियां प्राप्त हुईं। स्टेकहोल्डरों से प्राप्त टिप्पणियों को ट्राई की वेबसाइट पर डाला गया है और 6 मार्च, 2007 को नई दिल्ली में "ओपन हाउस" चर्चा हुई।

7.2 बीएसएनएल ने अपनी आरंभिक प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है जिसके साथ उसने प्रत्युत्तर सहित अपनी संख्या 6/2006 (3 खंड) की प्रति संलग्न की है, जिसमें उनके द्वारा माननीय दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय अधिकरण (टीडीएसएटी) के समक्ष किए गए मौलिक अनुरोध शामिल थे और उसमें यह उल्लेख किया गया था कि उनकी अपील की बातों को उनकी "पूर्वाग्रहहित प्रारंभिक प्रतिक्रिया" (विदाउट प्रिजुडिस प्रिलिमिनरी रैस्पॉंस) का एक अभिन्न अंग माना जाए। बीएसएनएल ने यह भी उल्लेख किया कि सुनवाई पूरी होने के तुरंत बाद माननीय टीडीएसएटी के समक्ष अपना उत्तर प्रस्तुत करेगा। इस संबंध में, यह बताया जाता है कि ट्राई ने माननीय टीडीएसएटी के समक्ष अपील संख्या 6/2006 के संबंध में अपना उत्तर पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। वर्तमान कवायद प्राधिकरण द्वारा पहले ही स्थापित एडीसी ढांचे के अंतर्गत वर्ष 2007-08 हेतु एडीसी राशि के वित्तपोषण/वसूली की वार्षिक समीक्षा करना है। ऊपर उल्लिखित अपील वर्ष 2006-07 के एडीसी से संबंधित है जिसमें बीएसएनएल ने दिनांक 23 फरवरी, 2006 के "दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2006 का 1)" को चुनौती दी है।

7.3 प्राधिकरण ने स्टेकहोल्डर्स की टिप्पणियों और अन्य बातों पर विचार किया और मामले का विस्तार से विश्लेषण किया। स्टेकहोल्डर्स की टिप्पणियों/उठाए गए मुद्दों पर इसके परचात संक्षेप में चर्चा की गई है। स्टेकहोल्डर्स द्वारा उठाई गई बातों को स्पष्ट रूप से दर्शाने हेतु उन्हें तिरछी टाइप में दिया गया है जिसके बाद में उस पर प्राधिकरण का विचार दिया गया है।

7.4 मुद्दा I : क्या एक्सेस डेफिसिट व्यवस्था को जारी रखा जाए

7.4.1 इस मुद्दे पर स्टेकहोल्डर्स से प्राप्त टिप्पणियों को पैरा (क) से (ज) में संक्षेप में नीचे दिया गया है तथा उसके परचात आने वाले पैराओं में उन पर विचार किया गया है :-

- (क) एडीसी को तत्काल समाप्त किया जाए, यह उपभोक्ता पर एक अनुचित बोझ है, विभिन्न विकृतियों का स्रोत है, ग्रे मार्केट है और इंटरनेट टेलीफोनी शुरू करने में एक बाधा है।
- (ख) दूरसंचार क्षेत्र में एक्सेस डेफिसिट व्यवस्था को जारी रखने का कोई मामला नहीं बनता है।
- (ग) बीएसएनएल के लिए सूचीसी अनुमत्त नहीं होना चाहिए क्योंकि यह एक लाभ कमाने वाली कंपनी है। वर्ष 2005-06 में, बीएसएनएल का कुल लाभ 8739 करोड़ रुपये था।
- (घ) बीएसएनएल के लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार, वर्ष 2003-04 में बीएसएनएल का निवेश और लाभ 13,923 करोड़ रुपये, 2004-05 में 18,998 करोड़ रुपये और वर्ष 2005-06 में 16,329 करोड़ रुपये था। सूबसेस डेफिसिट वाली कोई कंपनी आंतरिक संसाधनों से निवेश नहीं कर सकती है और साथ-साथ इतनी मात्रा में लाभ नहीं कमा सकती है।
- (ङ) ब्राडबैंड जैसे ऐसे अनेक नए राजस्व स्रोत हैं जो कॉपर नेटवर्क हेतु अतिरिक्त राजस्व उपलब्ध कराते हैं। बीएसएनएल अपने कॉपर लोकल लूप को अलग-अलग करके अतिरिक्त राजस्व सृजित कर सकता है। इस कल्पित राजस्व हानि का वहन करने की क्षमता यह दर्शाती है कि उसे कोई एक्सेस डेफिसिट नहीं हो रहा है।
- (च) टैरिफ पुनर्संतुलन हेतु पर्याप्त समय दिए जाने के बाद भी विकसित होते बाजार में सूचीसी को समान स्तर पर जारी रखने से सम्बन्धीकरणों पर अनुचित बोझ पड़ेगा और टैरिफ पुनर्संतुलन का उद्देश्य कभी प्राप्त नहीं हो सकेगा।
- (छ) निजी ऑपरेटर्स की कीमत पर प्रतिस्पर्धी के प्रचालनों के लिए धन जुटाना अनुचित है।
- (ज) एडीसी को तब तक जारी रखा जाना चाहिए जब तक कि डेफिसिट शून्य न हो जाए।

7.4.2 एडीसी व्यवस्था के शुरू होने से लेकर, प्राधिकरण को एडीसी की स्वीकार्यता के बारे में स्टेकहोल्डर्स के अलग-अलग विचार मिल रहे हैं। कुछ स्टेकहोल्डर्स एडीसी को उपभोक्ता पर एक अनुचित बोझ, प्रतिस्पर्धी ऑपरेटर्स की कीमत पर इंकम्बेंट का आनुपातिक

रूप से फलना-फूलना; बाजार में विसंगतियाँ पैदा करने, अंतरपणन पैदा करने और अंतरराष्ट्रीय कॉलों में ग्रे मार्केट पैदा करने वाला मानते हैं। व्यक्त किए गए अन्य विचार न केवल एडीसी को जारी रखने बल्कि एडीसी के स्केल/राशि को भी बढ़ाने के समर्थक हैं। बीएसएनएल द्वारा दिए गए औचित्य में अन्य बातों के साथ-साथ यह शामिल है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों, जहां निजी ऑपरेटर्स की संख्या लगभग शून्य है, में अपनी प्रभावी उपस्थिति से अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा कर रहा है। प्राधिकरण ने अलग-अलग दृष्टिकोणों का विचार करने के बाद टैरिफ पुनर्संतुलन के लिए पर्याप्त समय प्रदान करने हेतु एक्सेस डेफिसिट प्रभार प्रदान करने का निर्णय लिया। प्राधिकरण ने इस बात को आवश्यक माना कि इंकम्बेंट को एक सीमित अवधि के लिए एडीसी प्रदान करना चाहिए ताकि वह इंकम्बेंट टैरिफ को पुनर्संतुलित करने में समर्थ हो सके और इसके साथ-साथ इलेक्सी को जारी न रखा जाए जिससे उपभोक्ता पर अनुचित बोझ न पड़े और बाजार में विसंगतियाँ पैदा न हों। यह अभी-अभी प्राधिकरण का इंकम्बेंट निर्णय नहीं है, बल्कि हासमान व्यवस्था को 2003 से ही ज्ञात करवा दिया गया था।

7.4.3 प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथासंभव प्रचालन विनियमों और चहले ही स्थापित एडीसी व्यवस्था के प्रति निरीक्षण, प्राधिकरण ने वर्ष 2007-08 के लिए पूर्व में अंकित विचारों के अंतर्गत एडीसी व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय लिया। इस बात पर बल दिया जाता है कि यह परामर्शन चर्चाएं अनुमत्त था तथा यूएसओ निधि से बीएसएनएल के निम्न लिखित ग्रामीण फिक्सड इन्टर्न प्रचालनों की वित्त पोषण भी आवश्यकता होने पर, इस संभावना को समाप्त नहीं करता है।

7.5 मुद्दा II : निजी फिक्सड वायरलेस ऑपरेटर्स को एडीसी

7.5.1 इस मुद्दे पर विभिन्न स्टेकहोल्डर्स को विचारों की संक्षेप में पैरा (क) से (ग) में दिया गया है तथा उसके परचात आने वाले पैराओं में उन पर विचार किया गया है :-

- (क) किसी निजी फिक्सड ऑपरेटर्स को कोई एडीसी देने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि वे :-
 - (i) केवल शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं जहां पर टैरिफ पहले से ही नहीं है और सूबसेस डेफिसिट का सवाल ही नहीं उठता है।
 - (ii) वे अपनी सेवाएं देने के लिए प्रचलन काल से तकनीक नेटवर्क का प्रयोग कर रहे हैं।
 - (iii) उनका औसत भासिका किराया निरिचर है जो वायरलेस प्रणालियों के लिए लागत आधारित विचार से अधिक है।
- (ख) प्राधिकरण ने अन्य फिक्सड ऑपरेटर्स को एडीसी के प्रतिस्पर्धी के रूप में और उनकी अंतर्गत अर्ध-शहरी कॉलों के प्रति मिनट के आधार पर एडीसी रखने की अनुमति दी। यह बताया जाता है कि इससे निजी फिक्सड ऑपरेटर्स को उनके वायरलेस प्रतिस्पर्धी को तुलना में गैर-प्रतिस्पर्धीयक लाभ मिलता है जो कि समान कर्षणों के हित में नहीं है। इसके बाद, निजी फिक्सड ऑपरेटर्स गलत तरीके से तथा अनुचित रूप से एडीसी के योग्य नहीं रह जाने चाहिए।

(ग) जब समग्र एडीसी व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए केवल तभी अन्य मूलभूत सेवा प्रदाता (बीएसओ) के लिए एडीसी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए।

7.5.2 प्राधिकरण ने प्रधान विनियमों द्वारा अन्य फिक्सड लाइन ऑपरेटरों को बीएसएनएल के समकक्ष नहीं माना। प्रधान विनियमों के तहत केवल बीएसएनएल ने ही मोबाइल से मोबाइल और मोबाइल पर/से अंतरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी प्राप्त की। उस व्यवस्था में, अन्य बीएसओ को उनके नेटवर्क में टर्मिनेट होने वाली और नेटवर्क से सृजित होने वाली सभी कॉलों के लिए एडीसी प्राप्त करने की अनुमति दी गई। अन्य सेवा प्रदाताओं को एडीसी देने के मामले की जांच करते हुए, प्राधिकरण ने प्रधान विनियमों के पैरा-57 में यह बताया था कि अन्य बीएसओ के लिए एडीसी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने को एक्सेस डेफिसिट व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से समग्र रूप से समाप्त करने से पहले किया जाए।

7.5.3 "दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (चौथा संशोधन) विनियम (2005 का 1)" दिनांक 6 जनवरी, 2005 द्वारा यथासंशोधित प्रधान विनियमों में, प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि बीएसएनएल से इतर ऑपरेटरों को उनके लिए लागू एडीसी के संदर्भ में बीएसएनएल से भिन्न समझा जाना चाहिए। अन्य फिक्सड लाइन ऑपरेटरों को उनके फिक्सड सब्सक्राइबर्स से आउटगोइंग परियात पर एडीसी बनाए रखने की अनुमति दी गई और उनके फिक्सड लाइन नेटवर्क में टर्मिनेट होने वाली कॉलों पर किसी एडीसी का भुगतान नहीं किया गया प्रधान विनियमों से उक्त संशोधन में, बीएसएनएल ने मोबाइल सब्सक्राइबर्स से सभी इनकमिंग अंतरराष्ट्रीय कॉलों और सभी आउटगोइंग कॉलों पर एडीसी प्राप्त किया।

7.5.4 दिनांक 23 फरवरी, 2006 के "दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2006 का 1)" द्वारा यथासंशोधित प्रधान विनियमों में, प्राधिकरण ने अन्य फिक्सड लाइन सेवा प्रदाताओं को फिक्सड वायरलाइन प्रचालनों के एजीआर के प्रतिशत के रूप में एडीसी लेने और उनके फिक्सड वायरलाइन कार्यों से उद्भूत आईएलडी कॉलों पर प्रति मिनट आधार पर एडीसी लेने की अनुमति दी गई।

7.5.5 उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि बीएसएनएल से इतर ऑपरेटरों को उन्हें मिलने वाले एडीसी के संदर्भ में बीएसएनएल से भिन्न माना जाना जारी रखा जाएगा। पूर्ववर्ती आईयूसी विनियमों में ऐसे विभेदी व्यवहार का तर्काधिकार दिया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वायरलैस टर्मिनलों के माध्यम से उपलब्ध फिक्सड लाइन की एक्सेस संबंधी कम लागत और शहरी तथा ग्रामीण शहरों में सब्सक्राइबर्स का फैलना शामिल है। ये घटक आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं।

7.5.6 प्राधिकरण ने स्टेकहोल्डरों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच की और दिनांक 23 फरवरी, 2006 के "दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2006 का 1)" के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 27 में किए विश्लेषण और विचार का स्मरण किया जिसमें प्राधिकरण ने इस बात पर विचार किया था कि "हालांकि अन्य फिक्सड लाइन सेवा प्रदाताओं के लिए एडीसी का कोई औचित्य नहीं है फिर भी चूँकि अन्य फिक्सड लाइन ऑपरेटरों को बाजार में मुकाबला करना है इसलिए, जहाँ तक फिक्सड वायरलाइन एजीआर के प्रतिशत के संदर्भ में और उनके फिक्सड वायरलाइन सब्सक्राइबर्स

से आउटगोइंग अंतरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी को रखने का प्रश्न है, उन्हें बीएसएनएल के बराबर जा रहा है।" ये कारण आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। अतः विनियमों के वर्तमान संशोधन के अंतर्गत अधिसूचित व्यवस्था में, फिक्सड वायरलाइन प्रचालनों वाले अन्य सेवा प्रदाताओं को फिक्सड वायरलाइन सेवाओं के प्रतिशत के तौर पर एडीसी रखने की अनुमति है।

7.6 मुद्दा III : ग्रामीण वायरलाइन की तर्ज पर ग्रामीण वायरलैस पर एडीसी लाभ का विस्तार

7.6.1 ग्रामीण वायरलाइन पर एडीसी का लाभ देने पर स्टेकहोल्डरों के यह विचार थे कि यदि वर्ष 2007-08 में एडीसी वसूली हेतु राजस्व हिस्सेदारी प्रणाली को जारी रखा जाता है तो एक्सेस प्रदाताओं के कुल एजीआर से ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबर्स से अर्जित राजस्व को बाहर रखने के वर्तमान सिद्धान्त का लाभ ग्रामीण वायरलैस वालों को भी दिया जाए।

7.6.2 दिनांक 10 मार्च, 2006 के "दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (सातवां संशोधन) विनियम (2006 का 2)" द्वारा यथासंशोधित प्रधान विनियमों में, प्राधिकरण ने उक्त संशोधनों विनियमों, 2006 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में एजीआर से ग्रामीण वायरलैस सब्सक्राइबर्स से सृजित राजस्व को बाहर नहीं रखने को तर्काधार के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। प्राधिकरण वर्तमान ढांचे में बदलाव का कोई कारण नहीं पाता है और पुनः यह दोहराता है कि एक्सेस प्रदाताओं के एजीआर से केवल ग्रामीण फिक्सड वायरलाइन सब्सक्राइबर्स द्वारा अर्जित राजस्व को ही बाहर रखा जाए और ऐसे एजीआर को राजस्व बंटवारे के प्रतिशत के रूप में एडीसी की गणना के समय प्रयोग में लाया जाए।

7.7 मुद्दा IV : आईएलडीओ पर दोहरा एडीसी लगाना

7.7.1 इस मुद्दे पर स्टेकहोल्डरों के यह विचार थे कि एडीसी के वित्तपोषण के वर्तमान तंत्र से आईएलडीओ पर दोहरा एडीसी लगता है और उन्हें प्रति मिनट आधार और उनके एजीआर के प्रतिशत के रूप में, दोनों पर एजीआर देना पड़ता है। आईएलडीओ द्वारा एजीआर के प्रतिशत के भुगतान की आवश्यकता को समाप्त किया जाए क्योंकि आईएलडीओ पहले ही आईएलडी इनकमिंग कॉलों पर प्रति मिनट आधार पर एडीसी के काफी बड़े भाग का भुगतान कर रहे हैं।

7.2.2 दिनांक 23 फरवरी, 2006 के "दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2006 का 1)" द्वारा प्रधान विनियमों को संशोधित करते हुए, प्राधिकरण की प्रमुख चिंता यह थी कि आईएलडी क्षेत्र से एडीसी के अंशदान को उसी प्रकार से रखा जाए जैसा कि वह अक्टूबर, 2003 में बनाए गए प्रधान विनियमों और जनवरी 2005 में उनमें किए गए संशोधन से पूर्व था। यह नोट किया जाए कि आईएलडी कॉलों पर प्रति मिनट आधार पर सृजित एडीसी, आईएलडी ऑपरेटरों के एजीआर का भाग नहीं है। अतः आईएलडीओ के एजीआर के प्रतिशत के रूप में एडीसी का संग्रहण आईएलडी आवक और जावक कॉलों से सृजित एडीसी की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम है। एजीआर के प्रतिशत के रूप में आईएलडी क्षेत्र में तथा आईएलडी कॉलों के प्रति मिनट आधार पर एडीसी का अधिरोपण सुविचारित प्रक्रिया का परिणाम था तथा दरें इतनी निर्दिष्ट थीं कि आईएलडी क्षेत्र से लगभग 2100 करोड़ रु. वसूले जा सकें (आईएलडी आवक कॉलों से एडीसी अनुमानित एडीसी 1800 करोड़ रु. आईएलडी

जाबक कॉलॉ से 257 करोड़ रु. तथा आईएलडीओ के प्रतिशत राजस्व हिस्से से 24 करोड़ रु. था) इसके अलावा, एडीसी के लिए आईएलडीओ सहित सभी सेवा प्रदाताओं के एजीआर पर समान प्रतिशत का अधिरोपण एक सेवा से दूसरी सेवा से राजस्वत की किसी गलत-सूचना अंतरण को बचाने के लिए निर्दिष्ट किया गया था।

7.7.3 "दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन) विनियम, 2007" द्वारा मूल विनियमों को संशोधित करते हुए प्राधिकरण ने आईएलडीओ सहित सभी सेवा प्रदाताओं पर इस समय एजीआर को समान प्रतिशत पर एडीसी का भुगतान करने की बाध्यता लागू करने की वर्तमान प्रणाली को जारी रखने का निर्णय लिया है।

7.8. मुद्दा V : यूएसओ और एडीसी

7.8.1 यूएसओ और एडीसी के बारे में पणधारियों की राय को नीचे पैरा (क) से (घ) में संक्षेप में दिया गया है तथा उसके परचात आने वाले पैराओं में उन पर विचार किया गया है :-

- (क) यूएसओ और एडीसी के समान उद्देश्य हैं; इसलिए समान नीतिगत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भिन्न-भिन्न कौशल और दो भिन्न प्रणालियों को रखना अन्यायपूर्ण है।
- (ख) कोई भी एडीसी नहीं होना चाहिए। इसके बजाय, यूएसओ व्यवस्था के माध्यम से संगत सहायता प्रदान की जाए।
- (ग) एडीसी और यूएसओ की परिधि तथा उद्देश्य पूर्णतः भिन्न-भिन्न हैं, मोबाइल ऑपरेटर की यूएसओ से निधि प्राप्त कर रहे हैं, यूएसओ और एडीसी के विलय का कोई तर्काधार नहीं है।
- (घ) इस चरण में, यूएसओ के बारे में वाद-विवादों की आवश्यकता नहीं है। एडीसी और यूएसओ के विलय के बारे में, पृथक परामर्श प्रक्रिया होनी चाहिए।

7.8.2 वर्तमान में सरकार लाइसेंस फीस के राजस्व के भाग के रूप में समायोजित सकल राजस्व के 5 प्रतिशत के रूप में यूएसओ राशि उद्ग्रहित कर रही है। प्राधिकरण ने 6 जनवरी, 2005 के अपने "दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (चौथा संशोधन) विनियम (2005 का 1)" में यह नोट किया है कि यूएसओ तथा एडीसी व्यवस्था के उद्देश्यों में पर्याप्त ओवरलैपिंग है। इसके अलावा, समय के साथ ही, "निवल लागत एसडीसीए" के अनुसार यूएसओ व्यवस्था कार्यान्वित की जा रही है, जैसा कि यूएसएफ प्रशासक ने 2004 की शुरुआत में अधिसूचित किया था, वास्तव में एडीसी और यूएसओ के बीच ओवरलैपिंग में वृद्धि होगी।

7.8.3 यूएसओ निधि के संदर्भ में, प्राधिकरण ने 23 जनवरी, 2006 "दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2006 का 1)" के पैरा 3 में यह उल्लेख किया था कि प्राधिकरण इस मुद्दे पर सरकार को उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करेगा ताकि यूएसओ व्यवस्था अंततः एडीसी के कारण भी समर्थन का ध्यान रख सके। ट्राई ने दिनांक 20 सितम्बर, 2006 के पत्र तथा 22 नवम्बर, 2006 के अनुवर्ती अनुस्मारक द्वारा दूरसंचार विभाग को पहले ही यह सूचित कर दिया है कि दूरसंचार विभाग इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एडीसी एक ह्यसमान व्यवस्था है, अगली कार्रवाई पर विचार कर सकता है। चूंकि मामले को संक्षम प्राधिकारी अर्थात् दूरसंचार विभाग को विचारार्थ भेजा जा चुका है, इसलिए प्राधिकरण की यह राय है कि इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई दूरसंचार विभाग के द्वारा की जाएगी।

7.9. मुद्दा VI : एक्स्रेस डेफिसिट प्रभार की प्रकृति

7.9.1 वित्त वर्ष 2007-08 के लिए एक्स्रेस डेफिसिट प्रभार के बारे में पणधारियों की राय को नीचे पैरा (क) से (घ) में संक्षेप में दिया जा रहा है तथा उसके परचात आने वाले पैराओं में उन पर विचार किया गया है :-

- (क) प्राधिकरण द्वारा एडीसी में कमी की वर्तमान प्रवृत्ति को बनाए रखा जाना चाहिए।
- (ख) वर्ष 2006-07 में एडीसी में 2/3 कमी की गई। वर्ष 2007-08 में एडीसी को कम करके 1660 करोड़ रुपये किया जाए तथा उसके परचात शून्य किया जाए।
- (ग) एडीसी में 4800 करोड़ रुपये की लगभग 60 प्रतिशत की उच्चतर दर से कमी की जानी चाहिए जिससे की बीएसएनएल के लिए एडीसी की प्रमाणा 1280 करोड़ रुपये तक सीमित हो सके।
- (घ) एडीसी को 2334 करोड़ रुपये, अर्थात् पिछले वर्ष का एडीसी तथा उससे पिछले वर्ष के बीच का अंतर, तक कम किया जाए जिससे 2007-08 के लिए एडीसी 1000 करोड़ रुपये होगी।
- (ङ) बीएसएनएल को लागत से कम कीमत पर ग्रामीण वायरलेस टेलीफोनी के लिए किराया निशुल्क कॉल और कॉल प्रभारों में सब्सिडी के कारण होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जाने वाली कुल एडीसी 14,301 करोड़ रुपये होगी।

7.9.2 प्राधिकरण ने प्रधान विनियमों से ऐतिहासिक लागत के आधार पर एडीसी की कुल राशि के लिए बीएसएनएल के साथ परामर्श करके विस्तृत गणनाएं की हैं। प्राधिकरण द्वारा स्थापित एडीसी ढांचे में परिवर्तन की गई है कि चूंकि एडीसी एक ह्यसमान व्यवस्था है, इस व्यवस्था को स्थायी तौर पर जारी नहीं रखा जा सकता है और इस प्रकार एडीसी की व्यवस्था को स्थिर नवीन गणनाओं को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

7.9.3 व्यवस्था को निकासने का आधार प्रधान विनियमों के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 24 में स्पष्ट रूप से दिया गया है, जो निम्नानुसार है :

"प्राधिकरण ने यह नोट किया है कि ऐतिहासिक लागत तथा अग्रदशी लागतों के बीच अन्तर अधिक होता तथा कोषल आधुनिक और अग्रदशी प्रौद्योगिकी पर आधारित लागत पर निर्भर रहने से बीएसएनएल के लिए मूलक लागतों का भारी बोझ पड़ेगा। हालांकि, प्राधिकरण यह प्रस्ताव करता है कि एक्स्रेस डेफिसिट प्रभार आईसी में कमी के अनुक्रम परिवर्तन किया जाना आवश्यक है, इसने अल्पकालिक रूप से परिवर्तन को हलफ में धीरे-धीरे किए जाने वाले परिवर्तन की विधिवतों की जांच की। चूंकि बीएसएनएल देश में दूरसंचार सेवाओं की आपूर्ति करने वाला प्रमुख सेवा प्रदाता है तथा अपने ग्रामीण दूरसंचार चालक के लक्ष्यों की प्राप्ति में तथा कम भुगतान करने वाले सम्साहकारों को सहायक प्रदाता करने में अधिकतम योगदान किया है, वर्तमान एक्स्रेस डेफिसिट प्रभार में परिवर्तन करने से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों को तथा कम भुगतान करने वाले सम्साहकारों को प्रदाता की जा रही सेवाओं में अपितु देश के दूरसंचार उद्योग पर भी समग्र प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकरण ने यह नोट किया कि बीएसएनएल अपने विस्तृत कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी और निम्न लागत वाले उपकरणों का उपयोग पहले ही कर

रहा है। चूँकि बेतार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है, यह उम्मीद है कि कुछ विद्यमान नेटवर्क में भी धीरे-धीरे ऐसे उपस्करों को लगाया जाएगा। संक्षेप में, दृष्टिकोण यह है कि एक ही वर्ष में परिवर्तन की बजाय धीरे-धीरे कुछ वर्षों में एफएलएलआरआईसी में लागत की ओर पूरी तरह परिवर्तन कर लिया जाए। एक ही वर्ष में परिवर्तन लाने से भारी अनियमित लागत आएगी और यह अत्यवहारिक भी है। अतः प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि जहाँ तक संभव हो सके, हाल ही में लेखापरीक्षित लागतों के आधार पर वर्तमान वर्ष की लागतों पर ही निर्भर किया जाए। इस प्रयोजनार्थ, इसने आर्थिक आईयूसी कवायद में प्रयुक्त आंकड़ों की तुलना में हाल ही के आंकड़ों से काम लिया। प्राधिकरण की यह राय थी कि तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी में परिवर्तन तथा उपस्करों की लागतों में कमी के कारण एडीसी के लिए अपेक्षित वित्तपोषण की मात्रा में कमी आएगी। अतः आने वाले वर्षों में एडीसी व्यवस्था से छुटकारा संभव हो सकेगा तथा एडीसी व्यवस्था का यूएसओ व्यवस्था में विलय किया जा सकेगा। यह अधिकांश देशों की स्थिति के समान होगा, जिसमें पृथक एडीसी व्यवस्था के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही एडीसी फंडिंग की बजाय एडीसी व्यवस्था को यूएसओ व्यवस्था के साथ जोड़ दिया गया है।”

[टिप्पणी : उपयुक्त पैरा में “एफएलएलआरआईसी” का तात्पर्य है फारवर्ड लुकिंग लॉग रन इन्क्रोमेंटल कास्ट]

7.9.4 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है वर्ष 2006-07 में बीएसएनएल के लिए अनुमानित एडीसी 3200 करोड़ रुपए था। सेवा प्रदाताओं द्वारा एडीसी संग्रहण/भुगतान के लिए सूचना आवश्यकता प्रत्येक तिमाही के पश्चात् एक माह है आवक तथा जावक परियात मिनटों के बारे में सूचना भी सेवा प्रदाता द्वारा ट्राई को अलग से भेजी जाएगी। वित्त वर्ष 2006-07 के लिए वास्तविक प्राप्ति को अंतिम रूप से दिया गया है परन्तु, पहली दो तिमाहियों की प्राप्ति तथा शेष दो तिमाहियों के प्रेक्षण प्रत्याशित/अनुमानित एडीसी संग्रहण के संदर्भ में उत्साहवर्धक हैं।

वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए एडीसी प्राप्ति के बारे में बीएसएनएल की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की ओर प्राधिकरण का ध्यान दिलाया गया है। उक्त रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि 2003-04 के लिए एडीसी 'शून्य' है। प्राधिकरण ने इसकी विस्तृत जांच की। कुछ प्राप्त एडीसी राशियों को अंतरसंयोजन प्रभारों, बुनियादी और सेल्युलर सेवा प्रदाताओं से आईयूसी तथा एडीसी के लिए बीएसएनएल के योगदान के निवल समायोजन में दर्शाया गया है। यह नोट किया जाए कि आईएलडी आवक तथा जावक परियात से बीएसएनएल द्वारा सूचित एडीसी संग्रहण आईएलडी आवक और जावक परियात मिनटों से सूचित एडीसी से मेल नहीं खाता है, जैसा कि आईएलडीओ द्वारा सूचित किया गया है। बीएसएनएल आईएलडीओ, एनएलडीओ से एडीसी का संग्रहण एक्सेस प्रदाताओं द्वारा भ्रत्येक सेवा क्षेत्र के लिए बताए गए आईएलडी परियात की मात्रा के आधार पर करता है तथा एक्सेस प्रदाताओं से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अलग-अलग आईएलडीओ/एनएलडीओ का पृथकीकरण/बिलिंग से एडीसी की वसूली की प्रक्रिया में विलंब होता है और ट्राई को समयबद्ध तरीके से सूचना नहीं मिलती है। इसने सामंजस्य में भी परेशानियाँ पैदा की हैं क्योंकि कभी-कभी बीएसएनएल द्वारा भेजे गए बिल कभी-कभी कुछ सेवा क्षेत्रों में देरी से पहुँचते हैं। आईएलडीओ ट्राई को बीएसएनएल द्वारा भेजे गए

बिलों के आधार पर एक विशेष तारीख तक भुगतान की गई एडीसी की राशि सूचित करते हैं। अतः एडीसी संग्रहण के बारे में तिमाही सम्मिलन संभव नहीं है। बीएसएनएल के स्तर पर बिलिंग तथा वसूली तंत्र को मजबूत बनाए जाने की स्पष्ट आवश्यकता है ताकि आईएलडी कॉलों में सूचित एडीसी की समय पर वसूली की जा सके। प्राधिकरण बीएसएनएल सीधी पद्धति की सूचना के बारे में भी समान रूप से चिंतित है। तथापि, प्राधिकरण आश्वस्त है कि बीएसएनएल को एडीसी के बारे में प्राधिकरण का प्रेक्षण या तो पूरी तरह वसूल कर लिया गया है अथवा बिलिंग के संकलन और अन्य समायोजन के माध्यम से वसूल किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2007-08 के लिए एडीसी ढाँचे का निर्धारण करते समय इन कारकों को भी ध्यान में रखा गया है।

7.9.5 प्राधिकरण ने यह भी नोट किया है कि बीएसएनएल ने उस प्रधान उद्देश्य के प्रति सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया नहीं की है जिसके लिए एडीसी दिया गया था। यह स्मरण किया जाता है कि एडीसी का एक विशिष्ट उद्देश्य था जिसे एक समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाना था (अर्थात् टैरिफ पुनर्संतुलन)। इसके अलावा, बीएसएनएल अब टैरिफ रिजीम उपलब्ध करा रहा है, जिसके तहत अन्य सेवाएं (बंडलड) प्रदान की जा रही हैं एवं जो क्रास सब्सिडी का कुछ अवयव लिए प्रतीत होती है।

7.9.6 वित्त वर्ष 2007-08 के लिए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का अनुमान मध्य अवधि अर्थात् वित्त वर्ष 2007-08 के मध्य में औसत सब्सक्राइबर आधार को लेकर तथा एक्सेस प्रदाताओं और लम्बी दूरी प्रचालकों, जिनमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालक दोनों शामिल हैं, के राजस्व को हिसाब में लेकर प्रति प्रयोक्ता मासिक औसत राजस्व (एपीआरयू) से गुणा करके निकाला जाता है। एपीआरयू का अनुमान पास थ्रू घटक को घटाकर आकलित किया गया है तथा इसको सब्सक्राइबर बेस से गुणा करके एजीआर के आंकड़े प्राप्त होते हैं। वायरलाइन, मोबाइल (डब्ल्यूएलएल सहित) राष्ट्रीय लंबी दूरी और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाओं के लिए अनुमानित एजीआर ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबरों से प्राप्त राजस्वों को घटाकर निकाला गया है जिसका वित्त वर्ष 2007-08 के लिए 90,000 हजार करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है।

7.9.7 वित्त वर्ष 2007-08 के लिए अंतरराष्ट्रीय आवक मिनटों का अनुमान विभिन्न आईएलडीओ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं पर आधारित है। प्राधिकरण ने अप्रैल, 2006 से जनवरी, 2007 तक के लिए सभी आईएलडीओ से सूचना प्राप्त की है। 10 महीनों की अवधि के लिए सूचित आईएलडी आवक मिनट 8762 मिलियन है। प्राधिकरण ने वर्ष 2007-08 के लिए अंतरराष्ट्रीय आवक मिनटों के बारे में स्टेकहोल्डर द्वारा दिए गए अनुमानों पर विचार किया है। प्राधिकरण ने वर्ष 2007-08 के लिए लगभग 14,000 मिलियन अंतरराष्ट्रीय आवक मिनटों पर विचार किया है। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि आईएसपी लाइसेंस व्यवस्था पर पृथक सिफारिश पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है तथा शीघ्र ही इसे दूरसंचार विभाग को भेजा जाएगा। यह आशा है कि लाइसेंस के अंतर्गत सेवाओं की व्यापक विद्यमान समय की तुलना में कम सीमित होगी। इसका दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के माध्यम से गुजरने

वाली अंतरराष्ट्रीय कॉलों के समग्र आकलन पर प्रभाव पड़ेगा। यह स्वीकार किया जाता है कि आवक अंतरराष्ट्रीय मिनटों के लिए एडीसी दर में कमी ग्रे-मार्केट को और अधिक दबाएगी तथा वैध मार्ग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मिनटों को बढ़ावा देगी परंतु वृद्धि की प्रवृत्ति को उदारवादी दृष्टिकोण अपनाकर जानबूझकर संतुलित रखा गया है कि ताकि बीएसएनएल का विशाल परंतु संतुलित अंतरप्रवाह हासिल किया जा सके।

7.10 मुद्रा VII : एडीसी के संग्रहण के लिए विकल्प

7.10.1 प्राधिकरण ने 31 जनवरी, 2007 के अपने परामर्श पत्र में वित्त वर्ष 2007-08 के दौरान एडीसी के संग्रहण के लिए उदाहरण के रूप में कुछ संभावित विकल्प दिए थे। वे विकल्प निम्नानुसार हैं:-

- (i) यदि अंतरराष्ट्रीय कॉलों पर बोझ का अवपात सुनिश्चित हो सके, तो राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था को अपनाना।
- (ii) आईएलडी आवक और जावक से प्रतिमिनट आधार और राजस्व हिस्सेदारी का प्रतिशत (विद्यमान स्कीमों के अनुरूप), चाहे वह कम दरों पर ही हो।
- (iii) केवल आवक आईएलडी से प्रति मिनट आधार और सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के एजीआर पर प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी।
- (iv) आवक आईएलडी काल से केवल प्रति मिनट आधार पर एडीसी की पूरी राशि की वसूली तथा प्रतिशत राजस्व भागेदारी से कोई एडीसी नहीं।
- (v) केवल प्रति मिनट आधार पर आईएलडी आवक और जावक कॉलों से एडीसी की पूरी राशि की वसूली तथा प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी से कोई एडीसी नहीं।

7.10.2 पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों को नीचे (क) से (त) में संक्षेप में दिया गया है तथा उसके पश्चात् आने वाले पैराओं में उन पर विचार किया गया है:-

- (क) इसका वित्तपोषण प्रति मिनट आधार पर केवल आईएलडी आवक कॉलों से किया जाएगा और प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी से कोई एडीसी नहीं लिया जाएगा।
- (ख) वर्ष 2007-08 के लिए एडीसी की आवश्यकता का पूरा करने के लिए आवक आईएलडी कॉलों पर 1 रु. प्रति मिनट का एडीसी पर्याप्त होगा।
- (ग) घरेलू उपभोक्ता के हित के लिए घरेलू टैरिफ में कमी करने तथा सतत वृद्धि बनाए रखने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- (घ) जावक आईएलडी कॉलों पर कोई एडीसी उद्ग्रहण नहीं होना चाहिए इससे स्विचड नेटवर्क से की जाने वाली आईएलडी कॉलें इंटरनेट टेलीफोनी के समानान्तर हो जाएंगी।
- (ङ) राजस्व हिस्सेदारी दृष्टिकोण के अधीन सभी सेवाओं के लिए न्यायसंगत और गैर-विभेदात्मक व्यवहार सुसंगत होगा।
- (च) यदि संग्रहण केवल राजस्व हिस्सेदारी के प्रतिशत से किया गया है, तो राजस्व हिस्सेदारी के प्रतिशत को बढ़ाकर विद्यमान 1.5 प्रतिशत से अधिक किया जाएगा, जिससे घरेलू उद्योग पर बोझ बढ़ जाएगा।

(छ) विकल्प II राजस्व हिस्सेदारी की विद्यमान प्रतिशतता में कमी करके घरेलू उद्योग को कुछ राहत प्रदान कर सकता है, फिर भी घरेलू उद्योग का उतना लाभ नहीं मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त, इस पद्धति को लागू करने की प्रक्रिया जटिल होगी क्योंकि इसमें कई स्रोतों से एक छोटा सा भाग ही संग्रहित हो सकेगा।

- (ज) वित्त वर्ष 2007-08 में एडीसी की फंडिंग/संग्रहण की पद्धति में किसी मुख्य परिवर्तन पर विचार करने का कोई बाध्यकारी कारण नहीं है, विशेषकर उस समय, जब वर्ष 2008-09 तक एडीसी कम होकर शून्य रह जाएगी।
- (झ) विकल्प III घरेलू उद्योग को एजीआर के प्रतिशत में कटौती के द्वारा सीमित राहत प्रदान करेगा, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि अंतरराष्ट्रीय जावक कॉलों का लाभ घरेलू कॉलों की कीमत पर होगा।
- (ञ) एडीसी की वसूली आईएलडी आवक कॉलों पर 1 रु. प्रति मिनट एडीसी + एजीआर के 0.25 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत हो सकेगी।
- (ट) ट्राई को चाहिए कि वह अंतरराष्ट्रीय कॉलों पर डाले गए गैर-अनुपातिक एडीसी के बोझ को हटाए।
- (ठ) टैरिफ के निर्देशों के आधार पर विभिन्न एडीसी दरों की लोडिंग करके ट्राई ने टैरिफ पैटर्न में परिवर्तन किया है।
- (ड) अंतरराष्ट्रीय जावक और आवक कॉलों पर एडीसी होना चाहिए तथा अन्य सेवा प्रदाताओं को उनके नेटवर्क में समाप्त होने वाली आवक अंतरराष्ट्रीय कॉलों पर एडीसी प्राप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- (ढ) आवक आईएलडी कॉलों पर एडीसी में कटौती से आर्बिट्रज अवसर में कमी आएगी तथा इससे आईएलडी ग्रे-ट्रैफिक में रोक के साथ ही आईएलडी ट्रैफिक को मात्रा में काफी वृद्धि होगी।
- (ण) आईएलडी ट्रैफिक के आंकड़े स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि अंतरराष्ट्रीय वॉयस सेवा की मांग अत्यंत लचीदार है।
- (त) इस संकल्पना पर नए सिरे से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए सनसेट क्लॉज और समाप्त होने वाली व्यवस्था की संकल्पना को हटाए जाने की आवश्यकता है।

7.10.3 प्राधिकरण ने विभिन्न टिप्पणियों और प्राप्त रायों पर विचार किया है। इस एडीसी व्यवस्था के फंडिंग पैटर्न पर निर्णय लेते समय प्राधिकरण ने विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखा है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं, अर्थात् :-

- (i) दूरसंचार सेवाओं को उपभोक्ताओं के लिए और अधिक वहीनीय बनाना।
- (ii) घरेलू क्षेत्र में एडीसी के भार को कम करना।
- (iii) उपभोक्ताओं के हित में एडीसी के संदर्भ में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जावक कॉलों के बीच भेदभाषि को दूर करना।

- (iv) इंटरनेट टेलीफोनी और स्विचड ट्रेफिक मिनटों के माध्यम से की गई जावक अंतरराष्ट्रीय कॉलों के बीच समान अवसर देना, जिससे स्विचड टेलीफोनी के माध्यम से ट्रेफिक मिनटों में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और राजस्व में वृद्धि होगी।
- (v) अंतरराष्ट्रीय कॉलों पर उपलब्ध आर्बिट्रेज मार्जिन को कम करना जिसमें ग्रे-मार्केट की समस्या का समाधान हो सके।
- (vi) एडीसी फॉइंग के लिए एडीसी व्यवस्था का यूएसओ प्रकार की पद्धति के साथ विलय को सुकर बनाना, यदि भविष्य में ऐसे विलय की संभावना हो।

7.10.4 पूर्ववर्ती पैराओं में उल्लिखित विभिन्न उद्देश्यों तथा स्टेकहोल्डरों के विचारों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने यहां विचार किया कि ऊपर पैरा 7.10.1 का विकल्प (iii) अर्थात् केवल आईएलडी आवक से प्रति मिनट आधार पर और सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के एजीआर पर प्रतिशत हिस्सेदारी सबसे अधिक वांछनीय विकल्प है। अतः प्राधिकरण द्वारा प्रधान विनियमों में निम्नानुसार वर्तमान संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:

- (क) एजीआर (ग्रामीण वायरलाइन सब्सक्राइबर्स से सृजित राजस्व को छोड़कर) की प्रतिशतता को विद्यमान 1.5 से घटाकर 0.75 प्रतिशत करना।
- (ख) जावक अंतरराष्ट्रीय कॉलों से प्रतिमिनट एडीसी हटाना।
- (ग) अंतरराष्ट्रीय आवक कॉलों पर प्रति मिनट एडीसी में 38 प्रतिशत कमी अर्थात् प्रति मिनट 1.60 रु. के विद्यमान मूल्य को कम करके प्रति मिनट 1 रु. करना।

7.10.5 वित्त वर्ष 2007-08 के लिए एडीसी आकलन का सारांश नीचे तालिका 1 में दिया गया है:-

तालिका-1

वर्ष 2007-08 के लिए एडीसी आकलन का सारांश

स्ट्रीम	एडीसी का दर	अनुमानित एडीसी (रुपए करोड़ में)
राजस्व भाग	सभी सेवा प्रदाताओं के लिए एजीआर का 0.75 प्रतिशत	650
अंतरराष्ट्रीय आवक कॉलों	1 रु. प्रति मिनट	1400
योग		2050

लगभग 2050 करोड़ रु. के कुल अनुमानित एडीसी संग्रहण में से, बीएसएनएल के लिए अनुमानित एडीसी संग्रहण 2000 करोड़ रु. है।

7.10.6 प्राधिकरण को उम्मीद है कि "दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन) विनियम 2007" के फलस्वरूप एडीसी राशि में कमी से हुए लाभ को सेवा प्रदाता आगे पूरी तरह प्रदान करेंगे, जिसमें निम्न का मार्ग प्रशस्त होगा:-

- (क) निम्नतर दूरसंचार टैरिफ ;
- (ख) वहनीय/निम्न प्रभारों के परिणामस्वरूप सेवाओं का अधिक उपयोग ;

- (ग) दूरसंचार सेवाओं में सतत वृद्धि;
- (घ) टैरिफ में कमी करने तथा उपभोक्ताओं को अभिनव पैकेज प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं के लिए अधिक लचीलापन ;
- (ङ) आर्बिट्रेज में कटौती अतः आईएलडी ग्रे-मार्केट के लिए अन्यंत कम प्रोत्साहन ;
- (च) इंटरनेट टेलीफोनी तथा फिक्सड ट्रेफिक मिनटों के माध्यम से आवक अंतरराष्ट्रीय कॉलों के बीच लेवल प्लेइंग फील्ड, जिससे स्विचड टेलीफोनी के माध्यम से ट्रेफिक मिनटों में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके परिणामस्वरूप दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के राजस्व में वृद्धि होगी।

दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन) विनियम, 2007 के व्याख्यात्मक ज्ञापन का अनुलग्नक 'क' अनुलग्नक 'क'

("दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन) विनियम, 2007" के व्याख्यात्मक ज्ञापन का पैरा 6.1 देखें)

दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार विनियम, 2003 (2003 का 4) दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में एडीसी ह्रासमान व्यवस्था है से संबंधित कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरण :

"..... यहां तक कि एडीसी व्यवस्था भी, जो कि बीएसएनएल के लिए उपलब्ध है, आमतौर पर समाप्त की जाएगी और उसे 5 वर्षों में उसका विलय यूएसओ व्यवस्था में कर दिया जाएगा।" (पैरा 101 देखें)

"..... प्राधिकरण का यह मत है कि वर्तमान एडीसी व्यवस्था यूएसओ प्रकार की व्यवस्था के साथ 3 से 5 वर्षों के साथ मिल जाएगी।" (पैरा 98 देखें)

"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (चौथा संशोधन) विनियम (2005 का 1)" दिनांक 6 जनवरी, 2005 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में एडीसी ह्रासमान है से संबंधित कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरण:-

"..... इस संबंध में, 29 अक्टूबर, 2003 के इसके आईयूसी विनियम में प्राधिकरण के वक्तव्य का स्मरण करना महत्वपूर्ण है कि यह एडीसी को धीरे-धीरे कम कर रहा है, आने वाले समय में इसे यूएसओ व्यवस्था में विलय कर रहा है।" (पैरा 25 देखें)

"..... और यह भी निर्णय लिया है कि एडीसी को उत्तरोत्तर रूप से कम किया जाएगा ताकि कुछ वर्षों में इसे समाप्त किया जा सके।" (पैरा 52 देखें)

"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2006 का 1)" दिनांक 23 फरवरी, 2006 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में एडीसी ह्रासमान व्यवस्था है से संबंधित कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरण :

"..... बहरहाल, एडीसी एक ह्रासमान प्रणाली है जिसे मुख्यतया ट्रांजिशन अवधि के दौरान टैरिफ के पुनर्सूचन के लिए

इनकम्पेंट को समय प्रदान किया जाता है और इसे एक समय के बाद हटा दिया जाएगा और इसे यूएसओ प्रणाली के साथ मिला दिया जाएगा और कोई भी लाइन, जिसकी परिचालन लागत से कम पर व्यवस्था की गई हो, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और जो विनियमित टैरिफ से जुड़े हों और जिनका अभिगम घाटे का कोई औचित्य हो उन्हें यूएसओ में शामिल किए जाने की आवश्यकता है।" (पैरा 23 देखें)

"यह पुनः दोहराया जाता है कि अक्टूबर, 2003 से प्राधिकरण इस प्वाइंट पर जोर देता रहा है कि एडीसी प्रणाली एक ह्रासमान प्रणाली है और इसे 2008-2009 के आगे से बदल दिया जाना चाहिए या यूएसओ प्रणाली में इसे मर्ज कर दिया जाना चाहिए।" (पैरा 24 देखें)

"क्योंकि यह एक ह्रासमान प्रणाली है, अतः पूर्व में आकलित एडीसी के मूल्य को धीरे-धीरे कम होना चाहिए ताकि वर्ष 2008-2009 तक यह शून्य हो सके।" (पैरा 43 देखें)

**दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन)
विनियम, 2007 के व्याख्यात्मक
ज्ञापन का अनुलग्नक 'ख'
अनुलग्नक 'ख'**

["दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन)
विनियम, 2007" के व्याख्यात्मक
ज्ञापन का पैरा 6.2 देखें]

"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार विनियम, 2003" (2003 का 4) दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में कतिपय प्रारंभिक पैराओं के उद्धरण जिनमें दर्शाया गया कि एडीसी को स्थायी रूप से जारी नहीं रखा जा सकता है:

"इसलिए समय के साथ-साथ कुछ वर्षों के भीतर एडीसी व्यवस्था को समाप्त करना संभव हो सकता है और बाद में एडीसी व्यवस्था का विलय यूएसओ व्यवस्था में किया जा सकता है। इससे एक पृथक एडीसी व्यवस्था के जरिए वित्तपोषित एडीसी की बजाए अधिकांश दूसरे देशों जैसी ही स्थिति होगी, जहां एडीसी तथा यूएसओ व्यवस्था संयुक्त रूप से लागू है।" (पैरा 24 देखें)

"प्राधिकरण ने यह भी निर्णय लिया था कि यह बीएसएनएल के लिए संगत एडीसी का अनुमान लगाने के लिए और अधिक विस्तृत ऑडिट की विस्तृत लागत सूचना प्राप्त करेगा और उसे अगले वर्ष समीक्षा के बाद समाप्त करने पर विचार करेगा। समाप्ति की यह प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा कुछेक वर्षों के प्रश्नात एडीसी व्यवस्था को यूएसओ व्यवस्था में मिलाकर, विचारित एक्सेस घाटा व्यवस्था को समग्र रूप से समाप्त करने की तुलना में और ज्यादा जल्दी होगी।" (पैरा 57 देखें)

"साथ-साथ कुछ अरसे बाद मान लीजिए उसे पांच वर्षों में एडीसी व्यवस्था को यूएसओ व्यवस्था में मिला देना एक आदर्श स्थिति हो सकती है।" (पैरा 89 देखें)

"प्राधिकरण का यह मत है कि वर्तमान एडीसी व्यवस्था यूएसओ प्रकार की व्यवस्था के साथ 3 से 5 वर्षों के भीतर मिल जाएगी।" (पैरा 98 देखें)

"यहां तक कि वह एडीसी व्यवस्था भी जो कि बीएसएनएल के लिए उपलब्ध है अमतौर पर समाप्त की जाएगी और उसे 3 से 5 वर्षों में उसका विलय यूएसओ व्यवस्था में कर दिया जाएगा।" (पैरा 98 देखें)

"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2005 का 1)" दिनांक 6 जनवरी, 2005 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में कतिपय प्रारंभिक पैराओं के उद्धरण जिनमें दर्शाया गया है कि एडीसी को स्थायी रूप से जारी नहीं रखा जा सकता है :

"प्राधिकरण ने पहले ही कहा है कि एडीसी व्यवस्था को आने वाले समय में समाप्त कर दिया जाएगा तथा यूएसओ व्यवस्था के साथ विलयित कर दिया जाएगा। (पैरा 28 देखें)

"और यह भी निर्णय लिया है कि कुछ वर्षों के समय में समाप्त करने के लिए एडीसी को उत्तरीतर रूप से कम कर दिया जाएगा।" (पैरा 52 देखें)

"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2006 का 1)" दिनांक 29 फरवरी, 2006 में कतिपय प्रारंभिक पैराओं के उद्धरण जिनमें दर्शाया गया है कि एडीसी को स्थायी रूप से जारी नहीं रखा जा सकता है:

"एडीसी टैरिफ में पुनर्संतुलन करने के लिए अस्थायी अवधि के लिए दिया जाता है और यदि पुनर्संतुलन नहीं किया जाता है अथवा प्रतिकूल पुनर्संतुलन का सहाय नहीं लिया जाता है तो इसे अस्थायी तौर पर जारी नहीं रखा जा सकता है।" (पैरा 24 देखें)

"प्राधिकरण ने टैरिफ का पुनर्संतुलन करने के लिए पर्याप्त समय दिया है और एडीसी मुख्यतः पुरानी लागत के लिए है न कि भावी लागत के लिए। प्राधिकरण का मत है कि यदि इनकम्पेंट या किसी अन्य ऑर्बिटर के लिए एडीसी के समान आधारित जारी रखी जाएगी तो टैरिफ पुनर्संतुलन कभी भी नहीं किया जा सकेगा और स्थायी तौर पर एडीसी प्रणाली को जारी रखने का कारण इसमें सब्सक्राइबर पर अनुचित भार पड़ेगा।" (पैरा 26 देखें)

**दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन)
विनियम, 2007 के व्याख्यात्मक
ज्ञापन का अनुलग्नक 'ग'
अनुलग्नक 'ग'**

("दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन)
विनियम, 2007" के व्याख्यात्मक
ज्ञापन का पैरा 6.3 देखें)

"दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2006 का 1)" दिनांक 23 फरवरी, 2006 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में कतिपय प्रारंभिक पैराओं के उद्धरण जिनमें कहा गया है कि एडीसी की ग्राह्यता के लिए नवीन आकलनों की कोई आवश्यकता नहीं है:

"प्राधिकरण ने अक्टूबर, 2003 के अपने विनियम में पुरानी लागतों के आधार पर कुल एडीसी राशि के लिए बीएसएनएल को परामर्श से विस्तृत गणनाएं की हैं और प्राधिकरण बार-बार पुनः डाटा के आधार पर इन गणनाओं को करना जारी रखने की आवश्यकता नहीं समझता है।" (पैरा 26 देखें)

"चूंकि एडीसी मुख्यतः वायरलाइन लागत आधारित रेटलों में कमी के कारण था और वायरलाइन सब्सक्राइबरों की संख्या में

बदलाव नहीं आया है, अतः प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमानित एडीसी की राशि का दोबारा आकलन करने की जरूरत नहीं है लेकिन क्योंकि यह एक हासमान प्रणाली है, अतः पूर्व में आकलित एडीसी के मूल्य को धीरे-धीरे कम होना चाहिए ताकि वर्ष 2008-09 तक यह शून्य हो सके।" (पैरा 43 देखें)

दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन)
विनियम, 2007 के व्याख्यात्मक
ज्ञापन का अनुलग्नक 'घ'
अनुलग्नक 'घ'

(“दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन)
विनियम, 2007” के व्याख्यात्मक
ज्ञापन का पैरा 6.4 देखें)

“दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार विनियम 2003 (2003 का 4)” दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में 2008-09 तक एडीसी को समाप्त करना तथा यूएसओ के माध्यम से भविष्य में सहायता, यदि आवश्यक हुई, से संबंधित कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरण:

“..... यहां तक कि वह एडीसी व्यवस्था जोकि बीएसएनएल के लिए उपलब्ध है आमतौर पर समाप्त की जाएगी और उसे 3 से 5 वर्षों में उसका विलय यूएसओ व्यवस्था में कर दिया जाएगा.....” (पैरा 101 देखें)

“दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (चौथा संशोधन) विनियम (2005 का 5)” दिनांक 6 जनवरी, 2006 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में 2008-09 तक एडीसी को समाप्त करना तथा यूएसओ के माध्यम से भविष्य में सहायता, यदि आवश्यक हुई, से संबंधित कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरण:

“..... प्राधिकरण ने पहले ही कहा है कि आने वाले समय में एडीसी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा तथा यूएसओ व्यवस्था के साथ कर दिया जाएगा.....” (पैरा 28 देखें)

“दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2006 का 1)” दिनांक 23 फरवरी, 2006 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में 2008-09 तक एडीसी को समाप्त करना तथा यूएसओ के माध्यम से भविष्य में सहायता, यदि आवश्यक हुई, से संबंधित कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरण:

“..... प्राधिकरण का मत है मार्च, 2008 तक अर्थात् अगले 2 वर्ष तक कोई भी लाइन जो ग्रामीण क्षेत्र में हो और जिसमें अभिगम नेटवर्क के लिए वित्त पोषण का औचित्य हो उन पर यूएसओ के माध्यम से विचार किया जाना अपेक्षित होगा तथा एडीसी को हटा दिया जाएगा.....” (पैरा 23 देखें)

“..... पूर्व में आकलित एडीसी के मूल्य को धीरे-धीरे कम होना चाहिए ताकि वर्ष 2008-09 तक यह शून्य हो सके.....” (पैरा 43 देखें)

“..... (ii) एडीसी प्रणाली अगले दो वर्षों में घटकर शून्य तक हो जाएगी.....” (पैरा 67 देखें)

दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन)
विनियम, 2007 के व्याख्यात्मक
ज्ञापन का अनुलग्नक 'ड'
अनुलग्नक 'ड'

(“दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (आठवां संशोधन)
विनियम, 2007” के व्याख्यात्मक
ज्ञापन का पैरा 6.5 देखें)

“दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार विनियम 2003 (2003 का 4)” दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में एडीसी को यूएसओ व्यवस्था से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए अथवा उसमें विलयित कर देना चाहिए से संबंधित कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरण:

“..... इसलिए समय के साथ-साथ कुछ वर्षों के भीतर एडीसी व्यवस्था को समाप्त करना संभव हो सकता है और बाद में एडीसी व्यवस्था को विलय यूएसओ व्यवस्था में किया जा सकता है.....” (पैरा 24 देखें)

“प्राधिकरण कुछेक वर्षों के पश्चात् एडीसी व्यवस्था को यूएसओ व्यवस्था में मिलाने पर विचार करेगा.....” (पैरा 57 देखें)

“..... साथ-साथ कुछ अरसे बाद मान लीजिए उसे 3 से 5 वर्षों में एडीसी व्यवस्था को यूएसओ व्यवस्था में मिला देना एक आदर्श स्थिति हो सकती है.....” (पैरा 89 देखें)

“..... प्राधिकरण का यह मत है कि वर्तमान एडीसी व्यवस्था यूएसओ प्रकार की व्यवस्था के साथ 3 से 5 वर्षों के भीतर मिल जाएगी.....” (पैरा 98 देखें)

“दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (चौथा संशोधन) विनियम (2005 का 1)” दिनांक 6 जनवरी, 2005 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में एडीसी को यूएसओ व्यवस्था से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए अथवा उसमें विलयित कर देना चाहिए से संबंधित कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरण:

“प्राधिकरण ने पहले ही कहा है कि एडीसी व्यवस्था को आने वाले समय में समाप्त कर दिया जाएगा तथा यूएसओ व्यवस्था के साथ विलयित कर दिया जाएगा.....” (पैरा 28 देखें)

“प्राधिकरण ने आगे नोट किया है कि राजस्व साझेदारी व्यवस्था की ओर परिवर्तन तथा इसका यूएसओ के साथ विलय ही वास्तव में समस्त विसंगतियों का ध्यान रखने तथा एडीसी के साथ जुड़े मद्दों का अंतिम समाधान है.....” (पैरा 80 देखें)

“दूरसंचार अंतरसंयोजन प्रयोग प्रभार (छठा संशोधन) विनियम (2006 का 1)” दिनांक 23 फरवरी, 2006 के व्याख्यात्मक ज्ञापन में एडीसी को यूएसओ व्यवस्था से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए अथवा उसमें विलयित कर देना चाहिए से संबंधित कतिपय प्रासंगिक पैराओं के उद्धरण:

“..... प्राधिकरण का मत है कि मार्च, 2008 तक अर्थात् अगले दो वर्ष तक कोई भी लाइन जो ग्रामीण क्षेत्र में हो और जिसमें अभिगम नेटवर्क के वित्त-पोषण का औचित्य हो, उन पर यूएसओ के माध्यम से विचार किया जाना अपेक्षित होगा तथा एडीसी को हटा दिया जाएगा.....” (पैरा 23 देखें)।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2007

The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Eighth Amendment) Regulations, 2007
(2 of 2007)

F. No. 409-2/2007-FN.—In exercise of the powers conferred upon it under Section 36, read with sub-clauses (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of Sub-section (1) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003 (4 of 2003), namely:—

1. (1) These regulations shall be called as the Telecommunication Interconnection Usage Charges (Eighth Amendment) Regulations, 2007.

(2) These regulations shall come into force with effect from the 1st day of April, 2007.

2. In the Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003 (4 of 2003), (hereinafter referred to as the said regulations), in the regulation 5, in paragraph (iv), the words "and outgoing" shall be omitted.

3. In Schedule III to the said regulations—

(a) in paragraph 3.1,—

(i) the words "outgoing and" shall be omitted;

(ii) for the Table III, the following Table shall be substituted namely:—

"Table III

Access Deficit Charge for International Long Distance Calls

Type of Call	Access Deficit Charges per minute	Access Deficit Charge to be paid to BSNL
1	2	3
All Incoming ILD calls	Rs. 1.00 (Rupees One only)	By ILDOs or NLDOs referred to in clause (iv) of regulation 2";

(b) in paragraph 3.2,—

(i) in sub-paragraph 3.2.1,—

(A) the words "outgoing and" shall be omitted;

(B) for the word and figures "pay 1.5%", the word and figures "pay 0.75%" shall be substituted;

(ii) in sub-paragraph 3.2.4, for the words and figures "up to 31-3-2006, the subsequent payments" the words and figures "up to 31-3-2006, the subsequent payments before the 1st April, 2007" shall be substituted;

(iii) after sub-paragraph 3.2.4, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

"3.2.5. For the financial year beginning on the 1st April, 2007 and effective till 31st March, 2008, on or after the 1st day of April, 2007 during the said financial year, the Access Deficit Charge referred to in sub-paragraph 3.2.1, shall be payable at the rate of 0.75% of the Adjusted Gross Revenue for every quarter in that financial year and shall be paid in accordance within the time schedule for payment of licence fee mentioned in the licence of the concerned licensees."

R. K. ARNOLD, Secy.

[ADVT. III/IV/142/2006-Entry.]

Note 1. The principal regulations were published vide F. No. 409-5/2003-FN, dated 29th October, 2003 (4 of 2003) and subsequently amended vide notification Nos—

(i) 409-5/2003-FN, dated 25th November, 2003 (5 of 2003) (First Amendment);

(ii) 409-5/2003-FN, dated 12th December, 2003 (6 of 2003) (Second Amendment);

(iii) 409-5/2003-FN, dated 31st December, 2003 (7 of 2003) (Third Amendment);

(iv) 409-8/2004-FN, dated 6th January, 2005 (1 of 2005) (Fourth Amendment);

(v) 409-8/2004-FN, dated 11th April, 2005 (7 of 2005) (Fifth Amendment), which has been set aside by Hon'ble TDSAT vide its Order dated the 21st September, 2005 in Appeal No. 7 of 2005;

(vi) 409-5/2005-FN dated 23rd February, 2006 (1 of 2006) (Sixth Amendment);

(vii) 409-5/2005-FN dated 10th March, 2006 (2 of 2006) (Seventh Amendment);

Note 2. The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of these regulations.

EXPLANATORY MEMORANDUM TO "THE TELECOMMUNICATION INTERCONNECTION USAGE CHARGES (EIGHTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2007" (2 of 2007), dated the 21st March, 2007

1. BACKGROUND

1.1 The Access Deficit Charge (ADC) regime was put in place within the context of the evolving situation in the telecom market particularly the exponential growth trend and the sustainability of the fixed line operations in a competitive environment. This temporary support during transition was particularly important for the network with large coverage area and focused on important social objectives in the telecom sector. However the ADC, which in the very nature is for a limited period, is mainly to give time to incumbent operators for rebalancing of tariffs during a transition period. In the paragraph 101 of Explanatory Memorandum to "The Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003" (4 of 2003), dated the 29th October, 2003, it was stated that ADC regime would be phased out in general and be merged with the USO regime in 3 to 5 years.

2. INTRODUCTION OF ADC REGIME/REVIEW OF ADC IN YEAR 2003

2.1 The framework of Interconnection Usage Charge (IUC) and ADC regime was established by the Telecom Regulatory Authority of India (hereinafter referred to as Authority) by "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (IUC) Regulation, 2003" (1 of 2003) dated the 24th January, 2003. This regime came into effect from 1st May, 2003. The Authority reviewed the above regime and the revised ADC regime was notified by "The Telecommunication Interconnection Usage Charges Regulation, 2003" (4 of 2003), dated the 29th October, 2003 (hereinafter referred to as the principal regulations) superseding the earlier regulations referred above and became effective from the 1st February, 2004.

3. REVIEW OF ADC DURING THE FINANCIAL YEAR 2004-05

3.1 Keeping in view the higher growth in subscriber base and increased minutes available to fund the ADC, Authority issued another Consultation Paper on 23rd June, 2004 on 'Access Deficit Review'. As a consequence of consultation, the Authority amended the principal regulations vide "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Fourth Amendment) Regulation (1 of 2005)" dated the 6th January, 2005, and decided to continue the same amount of ADC fund as were specified vide principal regulations. Though the per minute rates were reduced due to increased minutes available to fund the ADC for the year 2005-06 yet there was no reduction in the ADC fund. The said amendment to principal regulations became effective from the 1st February, 2005. Under the principal regulations as amended by "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Fourth

Amendment) Regulation (1 of 2005)" dated the 6th January 2005, "other fixed line operators" were allowed to retain ADC generated from the calls originated from their networks. BSNL was allowed to get the ADC generated from other calls subject to ADC, including all incoming international calls and all calls originated from mobile (excluding intra circle mobile to mobile calls).

4. REVIEW OF ADC DURING THE FINANCIAL YEAR 2005-06 (INCLUDING THE MONTH OF MARCH 2005)

4.1 The Authority conducted a third review of IUC/ADC vide its consultation paper of 17th March, 2005. This consultation paper dealt *inter-alia* with a wide range of issues including (a) justification of ADC on fixed wireless line and admissibility of ADC to fixed line operators other than BSNL, (b) ADC as a percentage of revenue and its various variants i.e. higher ADC on National Long Distance (NLD) and International Long Distance (ILD) calls, (c) interconnection usage charges (carriage and termination) including those for incoming international calls, (d) exclusion of revenue generated from rural wireline subscribers from the ambit of the ADC, (e) possible differential termination charges for national and international calls, and, (f) implication of making available Universal Service Obligation (USO) fund to meet the quantum of ADC payable.

4.2 The Authority, after following the consultation process mentioned in the preceding paragraph amended the principal regulations vide "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Sixth Amendment) Regulation (1 of 2006)" on the 23rd February, 2006, effective from 1st March, 2006. By the said amendment to the principal regulations, the total estimated funding of ADC for the year 2006-07 was Rs. 3335 crores, out of which Rs. 3200 crores was the estimated ADC funding for BSNL. By the aforesaid amendment, the ADC on ILD traffic was continued to be on per minute basis but at a reduced rate of Rs. 1.60 per minute (earlier Rs. 3.25 per minute) for incoming ILD calls and Rs. 0.80 per minute (earlier Rs. 2.50 per minute) for outgoing ILD calls. In addition to ILD calls, ADC was also applicable as 1.5% of Adjusted Gross Revenue (AGR) of Access Providers, National Long Distance Operators (NLDOs) and International Long Distance Operators (ILDOS). By the amendment, no ADC was levied on revenue generated from rural wireline subscribers i.e. while calculating the ADC as a percentage of AGR of a Unified Access Service Licensee/Basic Service Operator, the revenue from Rural Fixed Wireline subscribers was allowed to be excluded. The Access Providers were allowed to retain ADC generated from outgoing ILD calls originated from Fixed Wirelines and ADC as percentage of AGR of Fixed Wirelines. Summary of Estimated ADC amount from various streams for the year 2006-07 as given in Table 8 of the aforesaid amendment is given below for ready reference :

**Table 8 of TUC Regulations dated the 23rd February, 2006
ADC Rate & Estimated ADC amount for the Year 2006-07**

Stream	ADC Rate	ADC Amount (in Rs. Crores)
Revenue Share	1.5% of AGR for all service providers	1278
International Incoming Calls	Rs. 1.60 per Minutes	1800
International Outgoing Calls	Rs. 0.80 per Minutes	257
Total		3335

5. REVIEW OF ADC DURING THE FINANCIAL YEAR 2006-07

5.1 In the principal regulations, the Authority had mentioned that review of ADC would be done annually. Subsequent to coming into force of the principal regulations, w.e.f. 1st February, 2004, the Authority has been reviewing the ADC regime on annual basis. The ADC framework established by the Authority envisaged that ADC is a depleting regime and the regime cannot be continued in perpetuity.

5.2 As part of an annual review, the Authority issued a Consultation Paper on Access Deficit Charge (ADC) on 31st January, 2007. The last date for receiving comments from the stakeholders was 26th February, 2007. This consultation paper, inter-alia, recalled the established framework of ADC regime, that had been established by the Authority and reviewed from time to time. In the review of ADC in 2007, by said Consultation Paper, the consultation is basically for the (a) amount of ADC for the year 2007-08; (b) mechanism for funding/collection of such ADC amount e.g. ADC as Percentage of Revenue, per minute ADC on ILD calls, and its various variants.

6. FRAMEWORK OF ADC REGIME

Salient features of ADC regime as already decided by the Authority in the principal regulations and various amending regulations are discussed briefly as under:

6.1 ADC IS DEPLETING REGIME

The Authority has been emphasizing since October, 2003 onwards that ADC is a depleting regime. In this connection, the extracts of the relevant paragraphs of the Explanatory Memorandum to the principal regulations and various amending regulations are as given in the Annexure-A to the Explanatory Memorandum.

6.2 ADC CANNOT BE CONTINUED IN PERPETUITY

The framework was established in the year 2003 that ADC regime would not continue in perpetuity. In this connection the extracts of the relevant paragraphs of the Explanatory Memorandum to the principal regulations and

various amending regulations are as given in the Annexure-B to the Explanatory Memorandum.

6.3 NO NEED OF FRESH CALCULATIONS FOR THE ADMISSIBILITY OF ADC

The ADC framework established by the Authority envisaged that since ADC is a depleting regime and cannot be continued in perpetuity, therefore, the need to carry out fresh calculations for the admissibility of ADC does not arise. In this connection the extracts of the relevant paragraphs of the Explanatory Memorandum to the amendment to principal regulations are as given in the Annexure-C to the Explanatory Memorandum.

6.4 PHASING OUT OF ADC BY 2008-09 AND FUTURE SUPPORT IF REQUIRED THROUGH USO FUND

The Authority has already stated in 2003 that the ADC regime will be phased out over time and will be merged with the US regime in 3 to 5 years. In the principal regulations and further amendment to the principal regulations, the Authority has established the framework of ADC including its lifespan. In this connection the extracts of the relevant paragraphs of the Explanatory Memorandum to the principal regulations and various amending regulations are as given in the Annexure-D to the Explanatory Memorandum.

6.5 ADC SHOULD BE REPLACED OR MERGED WITH USO REGIME

The Authority has already stated in 2003 that the prevailing ADC regime should be made to transition towards an USO type of regime in 3 to 5 years. In further amendment to the principal regulations the Authority has emphasized merger of USO and ADC. In this connection the extracts of the relevant paragraphs of the Explanatory Memorandum to the principal regulations and various amending regulations are as given in the Annexure-E to the Explanatory Memorandum.

7. CONSIDERATION OF THE MAIN COMMENTS/ISSUES RAISED BY THE STAKEHOLDERS:—

7.1 Authority received comments from 14 stakeholders including preliminary response from BSNL. Comments received from stakeholders have been put out on TRAI's website and Open House Discussion was held at New Delhi on 6th March, 2007.

7.2 BSNL has furnished its preliminary response enclosing therewith copy of the Appeal No. 6/2006 [3 volumes] along with rejoinder, containing the fundamental submissions raised by them before the Hon'ble Telecom Dispute settlement Appellate Tribunal (TDSAT) and mentioning therein that the contents of their appeal be taken as an integral part of their "without prejudice preliminary response". BSNL also mentioned that it would furnish its response immediately on the completion of the hearing before the Hon'ble TDSAT. In this regard it is mentioned that TRAI has already furnished its reply to Appeal No. 6/2006 before the Hon'ble TDSAT. The present

exercise is an annual review for funding/collection of ADC amount for the year 2007-08 within the ADC framework already established by the Authority. The appeal referred to above pertains to the ADC for the year 2006-07 wherein BSNL has challenged "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Sixth Amendment) Regulation (1 of 2006)" dated the 23rd February, 2006.

7.3 The Authority has considered comments of the stakeholders and other inputs and analysed the matter in detail. The comments/issues raised by stakeholders are discussed briefly hereafter. For the sake of clarity points raised by stakeholders are given in the *italic* font followed by the consideration of the Authority on that point.

7.4 ISSUE-I: WHETHER ACCESS DEFICIT REGIME TO BE CONTINUED

7.4.1 The comments received from the stakeholders on this issue are summarized in para (a) to (h) and dealt within the paragraphs following thereafter :

- (a) *ADC should be done away immediately, it is unwanted burden on the customer, a source of various distortions, grey market and hurdle Internet Telephony launch.*
- (b) *There is no case for continuing access deficit regime in the telecom sector.*
- (c) *ADC should not be admissible to BSNL as it is a profit making company. For, the year 2005-06, BSNL's total profits stood at Rs. 8739 Crores.*
- (d) *As per BSNL's Audited Accounts Investment plus profit for the year 2003-04 is Rs. 15,923 Crores, 2004-05 is Rs. 18,998 Crores and 2005-06 is Rs. 16329 Crores. Any company having access deficit cannot make investments through internal resources and at the same time make profit to such extent.*
- (e) *There are number of new revenue streams like broadband which provide additional revenue for copper network. BSNL can generate additional revenue by unbundling its copper local loop. The potential to bear this notional loss of revenue clearly establishes that it is not incurring any access deficit.*
- (f) *Even after providing sufficient time for tariff re-balancing, continuance of the same level of ADC in a growing market will put undue burden on the subscribers and the objective of tariff re-balancing will never be achieved.*
- (g) *It is not fair to fund the competitor's operations at the cost of private operators.*
- (h) *ADC should continue till the deficit is made zero.*

7.4.2 Since the inception of ADC regime, Authority has been receiving divergent views from the stakeholders

regarding admissibility of ADC. Some of the stakeholders perceive the ADC as an unwanted burden on the consumers; a disproportionate enrichment of the incumbent at the cost of the competing operators; creating distortions in the market; creating arbitrage and thereby resulting in grey market in international calls. The other view supports not only continuation of the ADC but argues for an enhanced scale/amount of ADC. The justification given by BSNL inter-alia includes that it is meeting social objectives by its significant investment in rural areas where the private operators have shown almost negligible presence. The Authority after considering the divergent views decided to provide Access Deficit Charge for sufficient time for tariff rebalancing. The Authority considered that it was necessary to provide ADC to incumbent for a limited period to enable him to rebalance the tariff and at the same time it should not continue in perpetuity causing undue burden on the consumers and various distortions in the market. It is not the sudden decision of the Authority now but the depleting regime was made known since 2003.

7.4.3 Keeping in view the framework of ADC regime already established by the Authority by principal regulations as amended from time to time, the Authority has decided to continue the ADC regime within the earlier determined framework for the year 2007-08. It is to be emphasized here that this transition was specific to the present framework and does not exclude, if required, the possibility of considering funding the below cost rural fixed line operations of BSNL from USO Fund.

7.5 ISSUE-II: ADC TO PRIVATE FIXED WIRELINE OPERATORS

7.5.1 The views of the various stakeholders on this issue are summarized in paras (a) to (c) and dealt within the paragraphs following thereafter :

- (a) *There is no justification for providing any ADC to any private fixed operator as they are :*
 - (i) *Offering services only in the urban and semi-urban areas where tariffs are forborne and the issue of an access deficit does not arise.*
 - (ii) *predominantly using wireless networks to offer their services.*
 - (iii) *Have an average monthly rental that is higher than the cost based rental for wireless systems.*
- (b) *The Authority allowed the other fixed operator to retain ADC as a % of AGR and on a per minute basis on their outgoing ILL calls. It is submitted that this above gave the private fixed operators an anti-competitive advantage over their wireless counterparts, which was not in the interest of level playing field. Hereinafter private fixed operators should no longer be incorrectly and unfairly entitled to ADC.*

- (c) *Phasing out of ADC to other Basic Service Operators (BSOs) should be done only when overall ADC regime is phased out.*

7.5.2 The Authority by principal regulations had not treated other fixed line operators at par with BSNL. Under the principal regulations only BSNL received the ADC from mobile-to-mobile calls and international calls to/from mobile. In that regime other BSOs were allowed to get ADC for all calls that terminate in their network and originate from their network. While examining the case for ADC to other service providers, the Authority had stated in para 57 of the principal regulations that phasing out of ADC to other BSOs may be earlier than the overall phasing out of the access deficit regime.

7.5.3 In the principal regulations as amended by "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Fourth Amendment) Regulation (1 of 2005)" dated the 6th January 2005, the Authority decided that operators other than BSNL should continue to be treated differently from BSNL in terms of the ADC applicable to them. The other fixed line operators were allowed to retain ADC on outgoing traffic from their fixed subscribers and no ADC was paid to them on the traffic terminating in their fixed line network. In the said amendment to principal regulations, BSNL received ADC on all incoming international calls and all outgoing calls from mobile subscribers (excluding mobile-to-mobile intra-circle calls).

7.5.4 In the principal regulations as amended by "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Sixth Amendment) Regulation (1 of 2006)" dated the 23rd February, 2006, the Authority allowed other fixed line service providers to retain ADC as percentage of AGR of their fixed wireline operations and ADC on per minute basis from ILD calls originating from their fixed wireline operations.

7.5.5 It is apparent from the above that operators other than BSNL continued to be treated differently from BSNL in terms of the ADC applicable to them. Rationale for such treatment have been explained in the previous IUC Regulations, which *inter-alia* includes lower cost of access involved with fixed line provided through wireless terminals and the spread of subscribers in urban and rural areas. These factors continue to be relevant even today.

7.5.6 The Authority examined the comments received from stakeholders and also recalled the analysis and consideration in Para 27 of explanatory memorandum of "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Sixth Amendment) Regulation (1 of 2006)" dated the 23rd February, 2006, wherein the Authority considered that "Though there is no justification of ADC for other fixed line service providers yet since other fixed line operators have to compete in the market, therefore, they are being treated at par with BSNL as far as retention of ADC in terms of percentage of fixed-wireline AGR and on outgoing international calls from their fixed wireline subscribers." These reasons continue to be relevant even

today. Therefore, in the regime notified under the present amendment to the principal regulations, other service providers having fixed wireline operations are allowed to retain ADC in terms of percentage of AGR of fixed wireline services.

7.6 ISSUE-III : EXTENSION OF ADC BENEFIT ON RURAL WIRELESS IN LINE WITH RURAL WIRELINE

7.6.1 The view of the stakeholders on an extension of ADC benefit on rural wireline has been that *the existing principle of exclusion of revenue earned from rural wireline subscribers from the total AGR of the Access Providers should be extended to rural wireless as well, in case the revenue sharing mechanism for recovery of ADC is continued in the year 2007-08.*

7.6.2 In the principal regulations as amended by "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Seventh Amendment) Regulation (2 of 2006)" dated the 10th March 2006, the Authority has clearly explained in the explanatory memorandum to the said amendment regulations, 2006, the rationale behind not excluding the revenue generated from rural wireless subscribers from AGR. The Authority does not find any reason to change the existing framework and reiterates that *only revenue earned from rural fixed wireline subscribers shall be excluded from the AGR of the Access Providers and such AGR shall be used for calculation of ADC in terms of percentage of revenue share.*

7.7 ISSUE-IV : DOUBLE INCIDENCE OF THE ADC ON ILDOs

7.7.1 On this issue the views of the stakeholders has been that *the present mechanism of funding of ADC results in double incidence of the ADC on ILDOs by requiring them to pay ADC both on a Per minute basis and also as a percentage of their AGR. The requirement of payment of percentage of AGR by ILDOs should be dispense with, since a major portion of the ADC is already being contributed by the ILDOs on a Per minute basis on ILD incoming calls.*

7.7.2 While amending the principal regulations by the "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Sixth Amendment) Regulation (1 of 2006)" on the 23rd February, 2006, the main concern of the Authority had been that the contribution of ADC from ILD sector should remain at the same order, as was earlier when principal regulations were made in October 2003 and amended in January 2005. It may be noted that ADC generated from ILD calls on per minute basis is not the part of the AGR of the ILD operators. Therefore, the collection of ADC as percentage of AGR of ILDOs is significantly less as compared to ADC generated from ILD incoming and outgoing calls. Imposition of ADC, on ILD sector as percentage of AGR as well as on per minute basis on ILD calls was the outcome of well thought process and the rates were so specified that approximately Rs. 2100 crores can be recovered from ILD sector (estimated ADC from

ILD incoming calls was Rs. 1800 crores, from ILD outgoing calls was Rs. 257 crores and from percentage revenue share of ILDOs was Rs. 24 crores). Further, imposition of uniform percentage on AGR of all service providers including the ILDOs for ADC was prescribed to avoid any misreporting or transferring of revenue from one service to another service.

7.7.3 While amending the principal regulations by the "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Eighth Amendment) Regulations, 2007", the Authority has decided to continue the present regime of imposing an obligation upon all service providers including ILDOs to pay ADC on uniform percentage of AGR.

7.8 ISSUE-V : USO AND ADC

7.8.1 The views of stakeholders on USO and ADC are summarized in para (a) to (d) and dealt with in the paragraphs following thereafter :

- (a) *USO and the ADC meet similar objectives and that it is undesirable to have to different vehicles and two different mechanisms in force to meet the same policy objectives.*
- (b) *There should not be any ADC. Instead, the relevant assistance should be provided through the USO regime.*
- (c) *The scope and objective of ADC and USO is totally different, mobile operators are also getting funds from USO, there is no rationale for the merger of USO and ADC.*
- (d) *There is no need to debate USO at this stage. Regarding merging of ADC and USO, there should be separate consultation process.*

7.8.2 Presently the Government is collecting the USO amount as 5% of Adjusted Gross Revenue as part of revenue share Licence Fee. The Authority in "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Fourth Amendment) Regulation (1 of 2005)" dated the 6th January 2005, noted that there is a considerable overlap among the objectives of the USO and ADC regimes. Further over the time, with the USO regime being implemented in terms of "net cost SDCAs" as was notified by the USF Administrator in early 2004, the overlap between the ADC and USO will in fact increase.

7.8.3 In the context of USO fund, the Authority in Para 3 of the Explanatory Memorandum to "The Telecommunication Interconnection Usage Charges (Sixth Amendment) Regulation (1 of 2006)" dated the 23rd February, 2006, indicated that the Authority would submit suitable recommendations to the Government on this issue so that finally USO regime takes care of support on account of ADC also. TRAI had already communicated to DOT vide its letter dated the 20th September, 2006 and subsequent reminder dated the 22nd November, 2006 that DOT may like to consider further course of action in view of the fact

that the ADC is a depleting regime. Since the matter has already been referred to Competent Authority viz. DOT, for consideration, therefore the Authority is of the view that any subsequent action in this regard will be from DOT.

7.9 ISSUE-VI : QUANTUM OF ACCESS DEFICIT CHARGE

7.9.1 The views of stakeholders relating to the quantum of Access Deficit Charge for the financial year 2007-08 are summarized in para (a) to (e) and dealt with in the paragraphs following thereafter :

- (a) *The Authority should maintain the present trend of reduction in ADC.*
- (b) *ADC reduced by 2/3rd in 2006-07. ADC may be reduced to Rs. 1600 crores for the year 2007-08 and nil thereafter.*
- (c) *ADC should be reduced at a higher rate of around 60% of Rs. 4800 crores so that quantum of ADC for BSNL is restricted to Rs. 1280 crores.*
- (d) *ADC should be reduced by Rs. 2334 Cr. i.e. the difference between last year ADC and year previous to that, thus Rs. 1000 crores would be the ADC for 2007-08.*
- (e) *Total ADC per year to be provided to BSNL to off-set its deficits emerging due to provisioning of below cost Rural Wireline Telephony on account of rental, free calls and subsidized call charges is of the order of Rs. 14301 crores.*

7.9.2 The Authority in principal regulations has done detailed calculations in consultation with BSNL for the total ADC amount based on historical costs. The ADC framework established by the Authority envisaged that since ADC is a depleting regime, the regime cannot be continued in perpetuity, and thus the need to carry out fresh calculations for the admissibility of ADC does not arise.

7.9.3 The basis for arriving at the regime has been clearly brought out in paragraph 24 of Explanatory Memorandum to the principal regulations, which is as under :

"The Authority noted that the difference between historical costs and forward looking costs would be large, and relying on costs based only on modern and forward looking technologies would imply a large burden from the stranded costs for BSNL. While the Authority feels that change over to FLLRIC model is imperative, it examined the implications of a sudden changeover against a gradual changeover. Since BSNL is the major supplier of telecom services in the country and has also contributed the maximum for achieving the targets of rural tele-density and in supporting low paying subscribers, a changeover to FLLRIC at present would adversely affect the